

प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 14.10.2021

अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब के निष्कर्षण व बिक्री में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बंध में चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजघाट की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अमरुद बाग चकरा अक्वल से एक नफर अभियुक्त राकेश बेलदार पुत्र स्व0 राजमन बेलदार उम्र करीब 38 वर्ष निवासी खुंटहना थाना खजनी जनपद गोरखपुर को को गिरफ्तार किया गया जिनके के पास से लगभग 120 लीटर अपमिश्रित अवैध कच्ची शराब व 1.300 किलो ग्राम यूरिया व 600 ग्राम नौसादर व कच्ची शराब बनाने के उपकरण एक अदद टीन के ड्रम नलकी लगी हुयी व दो अदद भदले एल्मुनियम के, दो अदद प्लास्टिक के डिब्बे भट्टी के पास से बरामदशुदा व भट्टी के आस-पास लगभग 20 क्विंटल लहन बरामदशुदा जिसे मौके पर कर्मचारीगण के माध्यम से नष्ट कराया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना राजघाट गोरखपुर पर मु0अ0सं0 264/2021 धारा 272 भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश बेलदार पुत्र स्व0 राजमन बेलदार उम्र करीब 38 वर्ष निवासी खुंटहना थाना खजनी जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान-

दिनांक 14.10.2021 समय 06.05 AM बजे, गिरफ्तारी का स्थान – अमरुद बाग चकरा अक्वल

गिरफ्तारी टीम में सम्मिलित पुलिस अधि0/कर्मचारी-

- 1-प्र0नि0 विनय कुमार सरोज थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 2-उ0नि0 अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 3-का0 मंगलदीप थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 4-का0 रवि कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 5-पवन कुमार यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 6-का0 अंकित बिन्द थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।
- 7-का0 गोरख सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर।